वीडियो में भागवत और इंद्रेश कुमार पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से 24 करोड़ रुपये लेने का आरोप भी लगाया

पेज छह का शेष

जिनमें दयानंद पांडेय श्याम आप्टे (जो पूना में आरएसएस के बहुत दिग्गज नेता माने जाते थे) के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसमें यह बात हो रही है कि प्रसाद पुरोहित ने उनको यह बताया था कि आईएसआई (पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी) ने 24 करोड़ रुपये इंद्रेश कुमार को दिया और इंद्रेश व भागवत वह पैसा खा गए, ऐसा है तो उनको हटाना पड़ेगा। श्याम आप्टे कहते हैं कि उनको हटाने के लिए मैनें पांच लाख रुपया कर्नल रायकर के पास दिया है। उस पैसे का इस्तेमाल करो और मोहन भागवत को हटाओ, उसके लिए भाड़े के हत्यारों का इस्तेमाल करो, इस तरह की अगर बात है तो उसको हटाने की जरूरत है। एक वीडियो में यह श्याम आप्टे कहते हैं। दूसरे वीडियो में प्रसाद पुरोहित यह कहता है कि हम नेपाल में हिंदू संगठन करना चाहते थे वहां माओवादी, कम्युनिस्ट विचारधारा की सत्ता न आए इसके लिए बात करना चाहते थे, इंद्रेश ने वादा किया था कि पैसा भी मिल जाएगा, आईएसआई ने उसको पैसा भी दिया लेकिन वो दोनों खा गए। इस मामले में हमें मोहन भागवत को हटाना होगा।

तो बाकी सारी ट्रांस्क्रिप्ट को नकारने की क्या यह वजह है कि अगर इन ट्रांस्क्रिप्ट पर न्यायालय में या सार्वजनिक स्तर पर बहस की गई तो इन वीडियो पर बहस करनी पड़ेगी जो कहती हैं कि आईएसआई ने इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत को 24 करोड़ रुपये दिए। तो क्या एंजेसी सिर्फ इसलिए इन ट्रांस्क्रिप्ट्स के वजूद को नकार रही है कि इंद्रेश कुमार और मोहन भागवत को इस पूरी बहस से बचाया जा सके कि उन्होंने आईएसआई जैसी किसी विदेशी एजेंसी से धन लिया है? यह सही है या नहीं यह तो जांच का विषय है लेकिन यह दावा प्रसाद पुरोहित ने किया है इसलिए वह ही है जो इसे साबित कर सकता है कि आईएसआई ने इंद्रेश कुमार को यह राशि सौंपी।

एक वीडियो ऐसा है जहां असीमानंद की बात आती है, इसमें असीमानंद यह कहते हैं कि मैने सुनील जोशी को कहा था कि अगर इंद्रेश ने तुम्हें हैदराबाद में ब्लास्ट करने के लिए लोग उपलब्ध कराए थे तो तुम्हें इंद्रेश से खतरा है, अपने आप को संभालो। दो महीने के बाद ही सुनील जोशी की देवास में हत्या कर दी गई।

ये जो बाकी सारी वीडियो हैं जो 2008 के मालेगांव से सीधे सीधे कनेक्टेड नहीं हैं लेकिन इस तरह की राष्ट्र विरोधी साजिश, राष्ट्रविरोधी डिजायन, आंतकवाद संबंधी प्लान वहां डिस्कस किए जाते हैं, तो उसको छिपाने के लिए पूरे एविडेंस को ही नकार दो। और यही हुआ जब एनआईए ने 'साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ चार्जेज नहीं बनाए जा सकते' इस तरह का बयान कोर्ट में दिया। सौभाग्य से उसी समय केस में दखलंदाजी करते हुए कोर्ट ने एनआईए को फटकार लगाई और कहा कि इस तरह से नहीं हो सकता, आरोप वापस नहीं लिए जा सकते। लेकिन यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वर्तमान जांच एजेंसी द्वारा यह प्रयास किए जा रहे हैं कि उस केस में जो 161-164 के तहत स्वीकार करने वाले बयान दिए गए और न्यायालय में दर्ज हो चुके हैं, अहम सुबूत हैं। यह बयान बताते हैं कि आरएसएस से जुड़े बहुत से लोग हैं और

मोहन भागवत

इन्द्रेश कुमार

वह आरएसएस में विभिन्न पदों पर रहना स्वीकार करते हैं, वह भी इन बैठकों में शामिल हुए थे। काफी संख्या में सेना के कई वर्तमान और सेवानिवृत्त अधिकारी भी इन बैठकों में शामिल हुए थे। उदाहरण के लिए एक सेना अधिकारी ने अपने बयान में बताया कि कैप्टन सुनील जोशी भी वहां पर आए थे। खुद प्रसाद पुरोहित एक मेजर प्रयाग मोडक की बात करते हैं कि वह हमारी देश के बाहर चलाई जाने वाली गतिविधियों में सहयोगी होंगे। तो इन सब बातों की जांच क्यों नहीं कराई जा रही जब 164 के तहत पुख्ता सुबूत के रूप में स्वीकार करने वाले बयान एजेंसियों के पास हैं, इसके बावजूद कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता है।

एक थ्योरी इस तरह से तैयार की गई थी कि प्रसाद पुरोहित ने मिलट्री इंटेलिजेंस के लिए (उसके इशारे पर) इस दक्षिणपंथी संस्था में घुसपैठ की थी और फिर 29 सितंबर के मालेगांव ब्लास्ट के बाद उसने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट की थी। मेरे पास कुछ कागजात और दस्तावेज है जिनके अनुसार यह प्रसाद पुरोहित ही है जिसने अभिनव भारत संगठन की स्थापना की। अभिनव भारत का आधिकारिक पता अजय राहिलकर, 6 ट्रेजरर्स रेसिडेंस है और संस्थापक स्वयं प्रसाद पुरोहित है। इस पर भी कोई कैसे यह थ्योरी रख सकता है कि प्रसाद पुरोहित ने मिलट्री इंटेलिजेंस की ओर से दक्षिणपंथी संस्था में घुसपैठ की थी।

रमेश उपाध्याय और प्रसाद पुरोहित के बीच एक बातचीत हुई। अपनी गिरफ्तारी से पहले रमेश उपाध्याय कहता है कि मैं सोचता हूं कि मै पुणे के पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत दूं कि मुझे मुस्लिम और ईसाई संगठनों की ओर से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में वह मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे, मैं खुद दिखूंगा कि मैं सामने हूं तो मुझ पर नजर रखने की उनको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और इस तरह से हम उन्हें धोखे में रखने में कामयाब हो जाएंगे। इस पर प्रसाद पुरोहित कहता है कि हां यह सही तरीका है, यही सही आइडिया है, हमें ही खुद लिखना चाहिए। और इसी सोच के साथ प्रसाद पुरोहित ने उसी दिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिखा। यह एक ट्रांसक्रिप्ट है जो उसके इस बयान को सही साबित करती है। तो उनकी संस्था में घुसपैठ करने की थ्योरी में कोई तथ्य, आधार नहीं हैं उल्टा उनका खुद का यह कहना है कि हमने इस तरह की स्ट्रैटजी की तो हम इससे बच निकल सकते हैं, तो वह हर संभव कोशिश कर रहे थे।

जब प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया तब प्रसाद पुरोहित का कॉल है जिसमें वह कहता है कि द कैट इस आउट ऑफ द बैग एंड द सिंह हैज संग। यह किसी भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए बहुत ही मुश्किल कोड लैंग्वेज है, द कैट इस आउट ऑफ द बैग, मतलब प्रज्ञा सिंह को पकड़ा गया है एंड सिंह हैज संग यानी सिंह ने जांच एजेंसियों को बहुत सारी जानकारी दे दी हैं, इस पर उपाध्याय कहता है कि हां मुझे मालूम है कि मैं भी रडार पर हूं। तो इन लोगों को यह पता था कि वह क्या कर रहे हैं लेकिन इनको इस बात का कतई अंदाज नहीं था कि ये खुद दयानंद पांडे है जो वीडियो रिकॉर्डिंग करता होगा, उसकी इस तरह की आदत है। उसके लैपटॉप में कई सारे गंदे वीडियोज भी हैं लेकिन बैठकों के जो ये वीडियोज हैं यह बहुत बड़ा सुबूत हैं इस केस के मामले में।

पूरा माहौल जो उस समय बनाया गया था हिमानी सावरकर जो इन सारी बैठकों में मौजूद थीं उसका भी 161-164 के तहत बयान दर्ज है जिसमें हिमानी सावरकर ने बताया कि प्रज्ञा सिंह ने कहा था कि वह उन लोगों का इंतजाम करेगी जो मालेगांव में बम प्लांट करेंगे। लेकिन जब प्रज्ञा सिंह को नासिक के कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो उन पर फूल बरसाने वालों में हिमानी सावरकर, शिवसेना, भाजपा और आरएसएस के सारे संगठन मौजूद थे।

26/11 जिस दिन हेमंत करकरे इसकी जांच कर रहे थे उस दिन शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख छपा था जिसमें लिखा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो करकरे और उसके पूरे परिवार को हम रास्ते पर पीटते हुए ले जाएंगे। दुर्भाग्यवश उसी दिन उनकी हत्या हुई और दूसरे दिन उसी शिवसेना को उनके घर के सामने होर्डिंग लगाना पड़ा, नरेंद्र मोदी जो करकरे की काफी आलोचना करते थे उस दिन करकरे के घर पर गए थे। उन्होंने गुजरात सरकार की ओर से दो करोड़ रुपया देने चाहे लेकिन करकरे की पत्नी ने लेने से इनकार कर दिया। तो इस तरह की हर संभव कोशिश की गई थी करकरे पर दबाव बनाने और उनकी छवि खराब करने के लिए उनकी मंशा पर सवाल खड़े करने की। खासकर क्षेत्रीय मीडिया में तो उस वक्त बहुत सी बातें हुई थीं।

उसी वक्त कोर्ट की कार्यवाही में यह भी कहा जाता था कि समझौता ब्लास्ट में भी इन लोगों का हाथ है लेकिन उसी समय आपत्तियां लगी थीं क्योंकि तब तक असीमानंद का बयान नहीं आया था। यह सारी बातें सितंबर 2008 तक की थीं, इसके बाद असीमानंद पकड़ा गया 19 नवंबर को उसका बयान हुआ।

सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर थे तन्ना स्वामी, उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा था कि आपने ये किस आधार पर स्टोरी की थी 2006 में कि जो सिमी के जो लोग पकड़े गए हैं वो बेकुसूर हैं और उनको इसमें फंसाया गया है। तो मैंने उनको वो सारे सुबूत, सूत्र आदि उपलब्ध कराए थे। भोसला मिलट्री स्कूल में इनकी ट्रेनिंग होती थी। भोसला मिलट्री स्कूल के संस्थापक बांशी मुंजे थे जो विनायक दामोदर सावरकर के दाहिने हाथ समझे जाते थे। पुणे में रहने वाले बांशी मुंजे के पोते कमांडेंट रायकर भी अभिनव भारत की कुछ बैठकों में शामिल रहे। रायकर ने सीबीआई को शपथपत्र देकर बताया है कि 2002 में उनके सामने इंद्रेश कुमार ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल जयंत चित्रे को यह कहा था कि मैं 25 लाख रुपया देने के लिए तैयार हूं लेकिन हिंदू आत्मघाती दस्ता तैयार करो।

यानी किस तरह से इंद्रेश इन्हें 2002 से ही आर्थिक सहायता मुहैया कर रहे थे। बाद में हिमांशु मांसे और उसके एक साथी की नांदेड़ में, अपने ही घर में बम बनाते हुए ब्लास्ट होने से मौत हुई थी। इस मामले की आगे कोई जांच हुई ही नहीं। उस समय भी केपीएस रघुवंशी ही एटीएस के चीफ थे।

असीमानंद की स्वीकारोक्ति के बाद जब अन्य लोगों ने अपने स्टेटमेंट दिए तब कहीं जाकर 2006 के नौ मुस्लिम आरोपियों को 2013 में कोर्ट ने रिहा किया। इन सात सालों में इन लोगों को जिस तरह के टार्चर से गुजरना पड़ा जिस हालत में वो थे और आज हैं वह बहुत दयनीय है। कुछ तो ऐसे हैं जो चल नहीं पा रहे।

यह सारी सच्चाई करकरे की जांच की वजह से खुल कर सामने आई, यदि करकरे की जांच अंत तक पहुंचती तो बहुत संभव है कि आज जो बहुत मशहूर लोग आजाद घूम रहे हैं वो जेल में होते। लेकिन करकरे की मौत के कारण यह पूरी जांच बहुत बुरी तरह से डैमेज हुई। उनके बाद जितने भी एटीएस चीफ आए और जो वर्तमान हैं उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है लेकिन उसी समय कोर्ट के सामने यह सारे ट्रांस्क्रिप्ट्स, वीडियो एविडेंसेज प्रस्तुत किए गए थे इसलिए वह आज भी कोर्ट के सामने है।

हालांकि रोहिणी सेलियन (सरकारी वकील) ने यह कहा है कि 17 स्वीकार करने वाले बयान इधर-उधर हो गए हैं। यह भी बड़े आश्चर्य और संदेह की की बात है, शायद इसकी भी जांच होगी। यह जांच पटरी से न उतरे इसका प्रयास आगे होता रहेगा।

(वीडियो https://youtu.be/wczwYfHkAsk पर देखी जा सकती है।)

Paytm

MM

Majdoor Morcha

UPI ID: 8851091460@paytm

8851091460

Scan this QR or send money to 8851091460 from any app. Money will reach in Majdoor Morcha's bank account.

केवल पाठकों के दम पर चलने वाले इस अखबार को सहयोग देकर अपनी आवाज को बुलंद रखें।

मज़दूर मोर्चा- खाता संख्या- 451102010004150

IFSC Code : UBIN0545112

Union Bank of India, Sector-7, Faridabad

घर बैठे प्राप्त करें मज़दूर मोर्चा

आज ही अपने हॉकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्लबगढ़ के पाठक अरोडा न्यूज एजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

1. प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड।
2. रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
3. एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे।
4. जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207
5. मोती पाहुजा - मिनार गेट पलवल, 9255029919
6. सुरेन्द्र बघेल-बस अड्डा होडल - 9991742421